# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **243/17 (वाद)**

**GCMS No. : 2017/00062**

1. नाथीबाई पुत्री सोला जी पत्नी मोतीलाल जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीया

**बनाम**

1. श्री देवा उर्फ देवजी पिता सोला जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री मांगीलाल माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. टोलीराम माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. कमला माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयन अधिकारी, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री सुखदेव सिंह, अधिवक्ता वादीया।

## वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 27.05.2025**

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेवाणा, पटवार हल्का जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1070, 1089, 1818, 3007, 3037 किता 12 कुल रकबा 21 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 1062, 1065, 1637, 1811 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाब[न्]दी में प्रतिवा[दी सं.] 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है।
2. यह कि हम पक्षकारान का संयुक्त [illegible] [निम्]न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

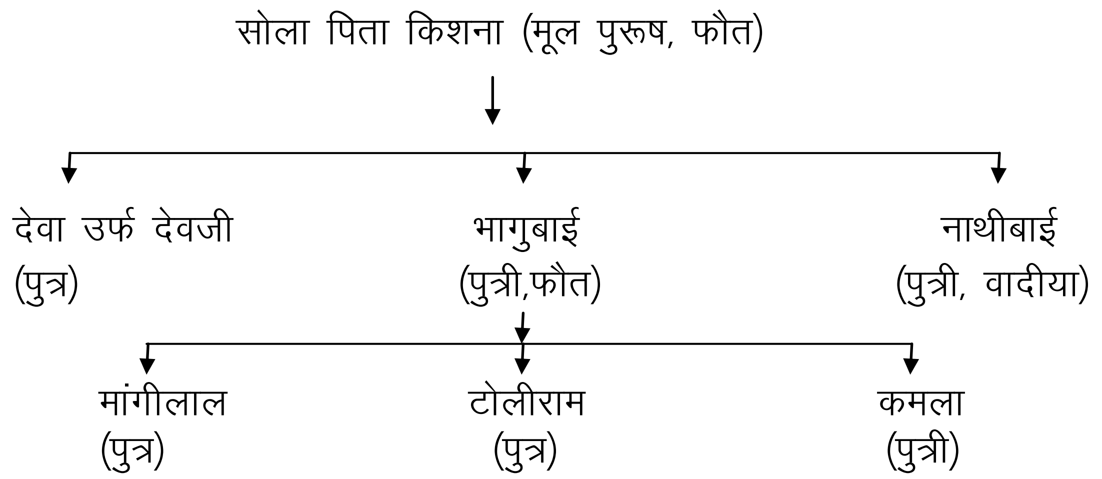


3. उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरुष सोला पिता किशना जी थे जिनके एक पुत्र देवा हुए एवं दो पुत्रीया भागुबाई एवं नाथीबाई (वादीया) है। भागुबाई का निधन हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 4 है। यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में मेरे पिता श्री सोला पिता किशना के नाम पर दर्ज थी तथा सोला जी के मरने के बाद विरासत से प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज हुई है जो मुझ वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 की माता भागुबाई की पैतृक सम्पति है। जिसमें हमको जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चूके है और मैं वादीया उक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूँ।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर मुझ वादीया व भागुबाई का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करा स्वर्गीय सोला जी के नाम की सम्पूर्ण भूमि को अपने अकेले के नाम पर ही अंकन करवा दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही था। क्योंकि मैं वादीया एवं भागुबाई भी स्वर्गीय सोलाजी की जायन्दा पुत्रीयां होकर उनकी विधिक वारिस है जिससे हमारा भी स्वर्गीय सोला के नाम दर्ज कृषि भूमियों में नाम दर्ज होना चाहिए था। इसलिये मैं वादीयां उक्त वर्णित आराजीयात में हिस्सानुसार अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी हूँ। मुझ वादीयां का मजबूत प्राइमाफैसी केस है। वर्तमान में मुझ वादीयां का हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज नही होने से प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादीयां को मेरे कब्जे हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकीयां दे रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से रहन बैह आदि द्वारा हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिये मैं वादीयां प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी हूँ कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन वेह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ वादीयां के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, मुझ वादीयां को बेदखल नहीं करे, वादीयां की भूमि पर कब्जा नहीं करे, वादीयां को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं होगी। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादीयां को जो अशोधनीय क्षति होगी उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीयां के पक्ष में है।

5. यह कि वादीयां को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 12.10.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 ने वादीयां को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं जमीन को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादीयां के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में (जो मुझ वादीयां की पैत्रक कृषि भूमि हैं) मुझ वादीयां को 1/3 हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारे का नाम राजस्व रेकर्ड खेवट खैतानी जमाबंदी में अंकित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। मुझ वादीया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादीयां के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, मुझ वादीयां को बेदखल नहीं करे, वादीयां की भूमि पर कब्जा नहीं करे, वादीयां को अपने हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rupadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

सं. 5, 6, 7 को पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया के कथनो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाद पत्र की कलम संख्या 1 परिशिष्ट अ मे वर्णित आराजीयात वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड मे मुझ प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार अंकित है जिसमे से कुछ आराजीयात पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी है, वादीया ने वर्तमान जमाबंदी अनुसार वाद प्रस्तुत नही किया है। परिशिष्ठ ब मे वर्णित आराजीयात मे मुझ प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है और परिशिष्ठ स मे वर्णित आराजीयात मे से आराजी संख्या 1062 रकबा तीन बीघा नो बिस्वा भूमि मुझ प्रतिवादी देवा द्वारा तन्हा जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीदी हुई है व बकाया संम्पूर्ण भूमि मेरे नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अंकित है और मेरे ही कब्जे उपभोग मे चली आ रही है। वादीया ने अपने वाद में कही पर भी यह अंकन नही किया है कि उसका उक्त भूमि मे कितना हिस्सा है और वो अपने हिस्से की तथाकथित भूमि पर कभी काबिज भी रही है या नहीं रही है।

8. यह कि वादीया स्वयं साबित करावे कि उसका उक्त भूमि में कितना हिस्सा है और वो अपने हिस्से की तथाकथित भूमि पर कभी काबिज भी रही है या नही रही है। वादीया का विवाह स्व० सौलाजी के जीवनकाल में ही करवा दिया गया था और वो अपने ससुराल गांव सनवाड़ मे विवाह के पश्चात से ही निवासरत है। वादीया का न तो प्राइमाफैसी कैस है न ही सुविधा संतुलन ही उसके पक्ष में है और न ही इसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ही हो रही है। वादीया स्वयं साबित करावे कि उसका उक्त भूमि मे कितना हिस्सा है और वो अपने हिस्से की तथाकथित भूमि पर कभी काबिज भी रही है या नही रही है। वादीया मुझ प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। हमारे विरूद्ध कोई वाद कारण 12—10—17 या कभी भी पैदा नही होता है क्योंकि वादीया कभी उक्त भूमि या इसके किसी भू भाग पर कभी काबिज नहीं रही है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pumadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

है । प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो वादीया ने नही दिया है इसलिए भी वाद खारिज होने योग्य है । वादीया का उक्त भूमि मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है न ही प्रार्थीया का कभी भी मौके पर कब्जा रहा है। वादीया मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। वादीया का वाद खारिज फरमाया जावे ।

9. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात जो हमारी माता भागुबाई की पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्व राजस्व रेकर्ड में हमारी माता के पिता श्री सोला के नाम पर दर्ज थी लेकिन सोला जी के देहावसान के बाद उक्त जमीन में विरासत के आधार पर खुलने वाले नामान्तरकरण में हमारी माता का नाम दर्ज होने से रह गया है जबकि भागुबाई सोलाजी की जायन्दा पुत्री थी और हम वादीगण उसके वारिसान है तथा भागुबाई से प्राप्त हिस्से पर हम प्रतिवादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन हमारी हिस्सा भूमि हमारे नाम पर अंकित नहीं होकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर रेकर्ड में अंकित होने से प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कर हम प्रतिवादीगण को उक्त पैतृक जायदाद से वंचित करना चाह रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिये हम प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है इसलिये उक्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत है। हम प्रतिवादीगण का प्राइमाफैसी कैस है और सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी माता की पैतृक कृषि भूमि है तथा हमारी माता के निधन हो जाने के बाद हम प्रतिवादीगण उक्त हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। किन्तु हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम पर अंकित नहीं होने से प्रतिवादीगण हम हमारी हिस्से की जमीन से बेदखल करने एवं भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रहे है। इसलिये हम प्रतिवादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 हम प्रतिवादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rupadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम प्रतिवादीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रतिवादीगण के पक्ष में है। हम प्रतिवादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध काउन्टर क्लेम कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

10. अंत में निवेदन किया कि हम प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर हमारे पक्ष में इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि में हम प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावें। हम प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 हम प्रतिवादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

11. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :—

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पत्ति है तथा सोला के समय से चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम दर्ज करा ली। अतः वादीया 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा दर्ज कराने की अधिकारी हैं।

   जिम्मे वादीया

2. आया वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रतिवदी संख्या. 2 से 4 की माता भग्गुबाई का हिस्सा जन्म से निहित है। अतः प्रतिवाद के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अपना 1/3 हिस्से [illegible] दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

   .........जिम्मे प्रतिवादी सं. 2 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त भूमि में आराजी नम्बर 1062 को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं खरीदी है शेष आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कब्जा नहीं है। शादी के बाद दोनों बहने ससुराल रहती हैं। अतः कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

............जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

4. दादरसी ।

12. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर वाद भी है परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने से काउण्टर वाद भी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया चुका है। वादीया द्वारा साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पी.डब्ल्यू 1 स्वयं का प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा जेवाणा की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 की खाता संख्या 38 प्रदर्श 1, खाता संख्या 39 प्रदर्श 2, खाता संख्या 272 प्रदर्श 3, मौजा जैवाणा की नकल जमाबंदी संवत 2032–35 की खाता संख्या 77 प्रदर्श 4, खाता संख्या 79 प्रदर्श 5 करवाए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 2 भेरूलाल पिता हजारीलाल, गवाह पी.डब्ल्यू 3 रतनलाल पिता उदेराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए।

13. अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीया के पिता की भूमि में दौराने नामान्तरकरण नाम दर्ज नही किया गया। वादीया का अपने पिता की सम्पति में अपने भाई–बहन के बराबर हक हिस्सा निहित है। वादीया अपना वाद साबित कराने में सफल रही है। अंत में निवेदन किया कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

14. हमने अधिवक्ता वादीया की एक पक्षीय बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है कि :–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति है तथा सोला के समय से चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

करा ली। अतः वादीया 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा दर्ज कराने की अधिकारी हैं। ............जिम्मे वादीया

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीया पर रहा। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित सजरे अनुसार वादीया के पिता अर्थात मूल सोला पिता किशना थे। सोला पिता किशना के पुत्र संतान देवा उर्फ देवजी तथा पुत्रीयां भागुबाई एवं नाथीबाई (वादीया) हुई। वादीया द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है कि उक्त सजरा सही है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा भी उक्त सजरे को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त सजरे के संबंध में कोई खण्डन नही किया। केवल मात्र अंकित किया की वादीया स्वयं साबित करावें। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा भी स्वीकार करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन नही करने से स्पष्ट है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 भाई बहन होकर सोला पिता किशना के वारिस है।

वाद पत्र में अंकित आराजीयात प्रदर्श 1 ग्राम जैवाणा पटवार हल्का जैवाणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072—75 के खाता संख्या 41 पर दर्ज आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1070, 1089, 1818, 3007, 3037 किता 12 कुल रकबा 21 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 खाता संख्या 42 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 3 खाता संख्या 266 रकबा 1062, 1065, 1637, 1811 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला गाडरी के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात को वादीया द्वारा मौरूसी भूमि/अपने पिता की भूमि बताकर घोषणा चाही गई है। जिसके संबंध में प्रदर्श 4 ग्राम जैवाणा पटवार हल्का जैवाणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2032—35 के खाता संख्या 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 1065, 1067, 1094, 1095, 1637, 1811 किता 6 कुल रकबा [illegible] बीघा 15 बिस्वा भूमि सोला पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

किशना के नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 5 खाता संख्या 79 पर दर्ज आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 1672, 1818, 3004, 3007, 3037 किता 10 कुल रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि सोला पिता किशना के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। खाता संख्या 81 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 किता 1 रकबा 2 बीघा भूमि सोला पिता किशना के नाम 1/12 हिस्से दर्ज है। इसके अतिरिक्त वादीया द्वारा और कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया। सजरे अनुसार सोला पिता किशना को वादीया ने अपना पिता बताया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी नम्बर 1064, 1066, 1070, 1089, 1818, 1062 के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजात वादीया द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त आराजीयात वादीया के पिता के नाम कभी दर्ज रही हो। इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध में वादीया को घोषणा दिया जाना उचित नही है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 3007, 3037, 1651, 1065, 1637, 1811 भूमि नकल जमाबंदी संवत 2032–35 के अनुसार वादीया के पिता सोला पिता किशना के नाम दर्ज होना प्रतीत होती है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादीया के पिता के नाम दर्ज थी। वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 देवा उर्फ देवजी पिता सोला के नाम दर्ज कर दी गई। हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किसी खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारीस पुत्र तथा पुत्रियो में निहित होगी। परन्तु उक्त प्रकरण में राजस्व कर्मचारियो द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र के नाम ही दर्ज की गई। जो कि न्यायोचित नही है। उपर्युक्त विवेचन एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त तनकी वादीया के पक्ष में आंशिक निर्णित की जाती है।

2. आया वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के माता भग्गुबाई का हिस्सा जन्म से निहित है। अतः प्रतिवाद के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अप[illegible] हिस्सा नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

..........जिम्मे प्रतिवादी सं. 2 से 4

3. आया वादग्रस्त भूमि में आराजी नम्बर 1062 को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं खरीदी है शेष आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कब्जा नहीं है। शादी के बाद दोनों बहने ससुराल रहती हैं। अतः कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

............जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

उक्त तनकी नम्बर 2 को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 2 से 4 पर एवं तनकी नम्बर 3 को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रहा। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त दोनो तनकीयात को साबित कराने हेतु कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किए। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहे। जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त तनकीयात साबित नही कराने से तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध साबित की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीया को अपने पिता की भूमि मे घोषणा कराने का पूर्ण अधिकार है। वादीया के जिम्मे की तनकी संख्या 1 भी वादीया अपने पक्ष में आंशिक साबित कराने में सफल रही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है तथा वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 38 पर दर्ज आराजी नम्बर 105[illegible], 1055, 1060, 1061, 1063, 3007,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

3037 किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से से खातेदार घोषित किए जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 39 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/9 हिस्से से खातेदार घोषित किए जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 272 पर दर्ज आराजी नम्बर 1065, 1637, 1811 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/3 हिस्से से खातेदार घोषित किए जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली**
**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

उनवान्

1. नाथीबाई पुत्री सोला जी पत्नी मोतीलाल जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादीया

**बनाम**

1. श्री देवा उर्फ देवजी पिता सोला जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री मांगीलाल माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. टोलीराम माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. कमला माता भागुबाई (पिता गोदाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयन अधिकारी, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## मुकदमा न0 : 243/17 (वाद) GCMS No. – 2017/00062

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है तथा वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 38 पर दर्ज आराजी नम्बर 1053, 1055, 1060, 1061, 1063, 3007, 3037 किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है शेष खातेदार यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार खाता संख्या 39 पर दर्ज आराजी नम्बर 1651 रकबा 2 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/9 हिस्से से खातेदार घोषित किए जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 272 पर दर्ज आराजी नम्बर 1065, 1637, 1811 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 देवा पिता सोला के नाम दर्ज है, के बजाय वादीया को 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/3 हिस्से से खातेदार घोषित किए जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:31 IST
Reason: SelfAttested